

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या-1/2023/2262408/अस्सी-2-2022
लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 के कार्यान्वयन को मजबूत और निगरानी करने के लिए नीति के प्रस्तर-6.1.2 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2020/320/अस्सी-2-2020-100(9)/2019, दिनांक 04-9-2020 द्वारा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति" में नामित अन्य सदस्यों का 02 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 04-9-2022 को पूर्ण होने के फलस्वरूप उक्त समिति में निम्नवत सदस्यों को नामित किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

"राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति में नामित सदस्य"

ग-अन्य सदस्य		
1	सदस्य	<p>1-<u>राज्य सरकार द्वारा नामित 01(एक) प्रगतिशील किसान</u> पदम श्री राम शरन वर्मा, बाराबंकी, उ०प्र० मो०नं०- 9839376028</p> <p>2- <u>राज्य सरकार द्वारा नामित 01(एक) एफ०पी०ओ</u> श्री शार्दुल विक्रम चौधरी, निदेशक, जया सीड्स फार्मस प्रोजेक्ट्स कम्पनी, ग्राम जयापुर, वाराणसी मो०नं०-9415446090</p>
2	सदस्य	<p><u>राज्य सरकार द्वारा नामित दो (02)प्रख्यात निर्यातक</u></p> <p>1- श्री के०एम० अग्रवाल, शाकुम्भरी एक्सपो-इम्पो लिमिटेड, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर। मो०नं०- 9810058378 ई-मेल- export@shakumbhari.org</p> <p>2- श्री शेख इकराम हुसैन, ए-601, गीतिका सी०एच०एस०लि०,सेक्टर-29, वाशी नवी, मुम्बई-400703 मो०नं०-9867632247</p>

		ई-मेल- sekramhusain@gmail.com
3	सदस्य	<p>राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक चैम्बर्स के दो (02) प्रतिनिधि</p> <p>1. श्री अमित गुप्ता, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (FICCI), 135, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ। मो0नं0-9793996633 ई-मेल- amit.gupta@ficci.com</p> <p>2. श्री आलोक शुक्ल, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), प्लॉट-ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (निकट पार्श्वनाथ अपार्टमेंट) मो0नं0-8009011333 ई-मेल- alok.shukla@cii.in</p>

2- नीति के प्राविधानानुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष , अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

डा0देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2023/2262408(1)/अस्सी-2-2022, तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसकी 50 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनु0-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12- समस्त संबंधित सदस्यगण।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।